उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 76 /सावधि जमा/ब्याज दर/2018–19 दिनांक– 30·11·18

समस्त शाखा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन।

कृपया बैंक के परिपत्र संख्या सी–65/सावधि जमा/2017–18 दिनांक–09.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सावधि निक्षेप पर दिनांक 06.11.2017 से देय ब्याज दरों हेतु है दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि बैंक के व्यवसायिक किया–कलापो की समीक्षा बैठक बैक मुख्यालय एवं मण्डल स्तर पर शाखा प्रबन्धको की आयोजित की गयी। शाखा प्रबन्धको द्वारा बैठको में सावधि जमा ब्याज दरो मे वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया।

अतः सावधि जमा पर अन्य व्यवसायिक/सहकारी तथा ग्रामीण बैंको की ब्याज दरों के तुलनात्मक तथा बैंक की वित्तीय तरलता को दृष्टिगत रखते हुये बैंक की सावधि जमा योजना मे दिनांक 03.12.2018 अथवा इसके पश्चात जमा व नवीनीकृत होने वाली सभी प्रकार की अवधि मे किये गये सावधि निक्षेपो पर बैंक द्वारा निम्न अवधि के अनुसार ब्याज दर निम्नवत् होंगी :–

अवधि	दिनांक 03.12.2018 से प्रभावी ब्याज दरें।	
	सामान्य नागरिक	वरिष्ठ नागरिक
1 वर्ष	7.00 प्रतिशत	7.50 प्रतिशत
1 वर्ष से अधिक	6.80 प्रतिशत	7.30 प्रतिशत

नोटः–

1. शाखाओं द्वारा न्यूनतम एक वर्ष के लिए सावधि–जमा स्वीकार किया जायेगा।
2. बैंक स्टाफ को उपरोक्त सामान्य ब्याज दर पर 0.50 प्रतिशत अधिक वार्षिक ब्याज दर अनुमन्य होगी जो सेवा निवृत्त स्टाफ के लिए भी प्रभावी होगी। किन्तु इस दशा में उन्हे वरिष्ठ नागरिक को देय ब्याज दर का लाभ अनुमन्य नही होगा।
3. एक वर्ष से पूर्व परिपक्वतापूर्व निकासी की दशा में निम्न तालिका के अनुसार ब्याज दरें लागू होंगी :-

अवधि	दिनांक 03.12.2018 से प्रभावी ब्याज दरें।
7 दिन से 45 दिन तक	4.60 प्रतिशत
46 दिन से 179 दिन तक	5.60 प्रतिशत
180 दिन से 210 दिन तक	5.90 प्रतिशत
211 दिन से एक वर्ष से कम	6.20 प्रतिशत

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शाखा प्रबन्धक(जनपदीय स्तर)उ0प्र0सह0 ग्राम विकास बैंक लि0,को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ई–मेल से प्राप्त परिपत्र की प्रतियां अपने जनपद की समस्त शाखाओं को तत्काल प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0 का0,लखनऊ/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. प्राचार्य, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर) इस आशय से प्रेषित है कि बैंक की समस्त शाखाओं को ई–मेल कराने का कष्ट करे।

30/11/18
(के0 बी0 लाल)
सहायक महाप्रबंधक(सावधिजमा)